न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 05/2018/रेफरेन्स

भूमिधारी तहसीलदार फतेहपुर

प्रार्थी

बनाम

गोपाल पुत्र दीनदयाल केजड़ीवाल जाति महाजन मालिक फर्म घनश्याम मुरलीधर बीड़ फतेहपुर ग्रा.प. गारिण्डा

अप्रार्थी

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956

वकील अप्रार्थी श्री प्रभातीलाल

निर्णय **दिनांकः—11.06.2018**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 252 रकबा 0.28 व खसरा नम्बर 253 रकबा 0.28 वाके ग्राम बीड़ फतेहपुर वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार रिकॉर्ड में गोपाल पुत्र दीनदयाल केजड़ीवाल जाति महाजन मालिक फर्म घनश्यामदास मुरलीधर बीड़ फतेहपुर ग्राम पंचायत गारिण्डा के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 252 व 253 का भू प्रबन्ध से पूर्व खसरा नम्बर 47/3 रकबा 0.56 था। खसरा नम्बर 252 व 253 (पूर्व खसरा नम्बर 47/3) का इन्द्राज श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर के आदेश क्रमांक 2046—9/आरए दिनांक 20.09.1972 द्वारा "शहरी उद्धेश्य के लिए तथा पैट्रोल पम्प, वर्कशॉप, धर्मशाला एवं प्याउ" के लिए 2 बीघा 4 बिस्वा पुख्ता भूमि श्री सत्यनारायण अग्रवाल पुत्र श्री घनश्याम दास निवासी फतेहपुर को "99 वर्ष की लीज पर" आवंटित की गई थी, जो वर्ष 2029—32 की जमाबन्दी में जिम्मन—3 में खाता संख्या 7 के सामने नोट— जरिये नामा. संख्या 3 के खसरा नम्बर 47 में से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि खातेदारी पैट्रोल पम्प वास्ते दी जाने से सत्यनारायण पुत्र घनश्याम दास कौम महाजन सा. देह के नाम दिनांक 20.08.1973 अंकन कर दर्ज किया गया, परन्तु 99 साल लीज अंकित नहीं की गई। तत्पश्चात् जमाबन्दी संख्या 2037—40 के जिम्मन नम्बर 3 में (गैर खातेदार एवं गैर मौजसी कृषक) खाता नम्बर 10 के अनुसार सत्यनारायण पुत्र घनश्यामदास कौम महाजन सा. फतेहपुर खसरा नम्बर 47/3 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा गै.मु. पैट्रोल पम्प दर्ज हुआ। उक्त इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2058—61 के जिम्मन नं. 3 में (गैर खातेदार एवं गैर मौरूसी कृषक) खाता संख्या 16/8 के अनुसार— सत्यनारायण पुत्र घनश्यामदास कौम महाजन सा. फतेहपुर खसरा नम्बर 47/3 रकबा 0.56 है0 गै.मु. पैट्रोल पम्प दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 60 दिनांक 26.06.2015 द्वारा खाता खातेदार के स्थान पर गोपाल पुत्र दीनदयाल केजड़ीवाल जाति महाजन निवासी फतेहपुर मालिक फर्म

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.04 की पालना में प्रार्थीगण का नाम खातेदार के कॉलम से हटकर लीज के रूप में जमाबन्दी में नोट के रूप में अंकन होना। अतः प्रकरण में प्रथम नामान्तरकरण दिनांक 24.08.1973 गलत दर्ज होना सिद्व होता है। अतः प्रस्तुत रेफरेन्स में उपरोक्त तथ्यों का समावेश किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 03 दिनांक 24.08.73 को भी निरस्त करने की कृपा करें।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 06.06.2018 का अवलोकन किया गया। अवलोकन एवं मनन से स्पष्ट है कि आवंटन आदेश दिनांक 20.09.1972 के उपरांत लीज संपादन होकर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी/गैर खातेदारी की बजाय लीज का ही अंकन किया जाना था, परन्तु खातेदारी एंव उसके पश्चात् गैर खातेदार के रूप में प्रार्थीगणों का नाम दर्ज करना नामान्तकरण नियमों के अन्तर्गत नहीं थे। जहाँ तक प्रकरण में दिनांक 26.6.15 को नामान्तकरण संख्या 60 से वसीयतनामा एवं 61 से गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज किया गया है, उक्त नामान्तकरण नगरीय पेरीफेरी सीमा में होने के कारण नायब तहसीलदार को अधिकार नहीं होना पैरा में अंकित किया गया है। राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर सीकर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार के द्वारा विधिक कार्यवाही की जानी आवश्यक थी। इसकी बजाय प्रथम नामान्तकरण सं. 3 जो 24.08.1973 को खोला जाकर प्रार्थीगणों के नाम खातेदारी दर्ज किया गया था वो नियमानुसार नहीं था, खाते में लीज संपादन होने पर केवल भूमि के लीज का अंकन होना था। खातेदारी एंव उसके पश्चात् गैर खातेदार के रूप में प्रार्थीगणों का नाम दर्ज करना नामान्तकरण नियमों के अन्तर्गत नहीं था। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी के नाम दिनांक 26.06.2015 को तस्दीक नामान्तकरण संख्या 60 व 61 एवं उससे पूर्व तस्दीक नामान्तकरण संख्या 3 दिनांक 24.08.1973 राजकीय सम्पति को हानी पहुंचाने को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि उक्त नामान्तकरण खारिज किये जाकर दिनांक 24.08.1973 से पूर्व की स्थिति बहाल की जानी न्यायोचित है।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/6/2018

(जयप्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official